F.No. LH-11012/5/2021-SL
Government of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways

Transport Bhawan
1, Parliament Street, New Delhi

Dated the 31st December, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Uploading on the website on Ministry of Ports, Shipping & Waterways the draft subordinate rules to be framed under delegated legislations of Marine Aids to Navigation Act, 2021 -reg.

Sir,

Please Upload the following draft subordinate rule (sent through email) to be framed under delegated legislation of Marine Aids to Navigation Act, 2021 on the website on MoPSW for inviting objections/suggestions, to these rules:

Draft Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021

2. **Notice Board/whats new webpage will contain following content:**

- "Following Draft Rule, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), are hereby published, for information of all the persons likely to be affected thereby: and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days.

- Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General. Directorate of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, A-13, Sector-24, Noida – 201301, or by email at noida-dgll@nic.in with in the period specified above.

Draft Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021

(Anadi Sharma)
Section Officer
Tele No. 23356988

Director, NIC
Ministry of Ports, Shipping & Waterways,
Transport Bhawan,
New Delhi - 110001

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-30122021-232254
CG-UP-E-30122021-232254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 725] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2021/पौष 6, 1943
No. 725] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2021/PAUSA 6, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 884(अ).—समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2021 का प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार, नौवहन के लिए समुद्री सहायता अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, 2021 (2021 का 20),इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, उक्त अनुभाग की उप-धारा (1)द्वारा अपेक्षित के रूप में प्रकाशित किया जाता है;और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, जनसाधारण को उपलब्ध कराई जाती है;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, दीपस्तभ और दीपपोत महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ए-13,सेक्टर - 24, नोएडा - 201301 को संबोधित किया जा सकता है, अथवा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर noida-dgll@nic.in पर ईमेल द्वारा संबोधित किया जा सकता है।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों को "समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन) नियम, 2021" कहा जाना है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, नियुक्त करना; और इस नियम के विभिन्न प्रावधानों हेतु पृथक पृथक निर्धारित तिथियां और इस नियम की प्रारंभता में ऐसे किसी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

2. परिभाषाएं–

इन नियमों में, जब तक कि विषय की अन्यथा आवश्यकता न हो,

(1) "मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान (एटीओ)" अर्थात स्थापित मानकों हेतु पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की क्षमता प्रदर्शित करने वाला एक ऐसा संगठन जिसे महानिदेशालय ने मान्यता प्रदान की हो।

(2) "अधिनियम" अर्थात है समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20)है।

(3) "अनुमोदित नौचालन सहायता प्रशिक्षण प्राठ्यक्रम" अर्थात नौचालन सहायता के अध्ययन का एक पाठ्यक्रम जिसने महानिदेशालय द्वारा जारी परिपत्र के मानकों के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियों को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है और जिसके अधीन यह सुनिश्चत करने हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है।

(4) "नौचालन सहायता (एटोन)" अर्थात निजी पोतों और पोत यातायात के सुरक्षित और प्रभावी नौचालन को बढावा देने वाले पोत यातायात सेवा सहित पोत से बाहर, डिजाइन की गई और प्रचालन हेतु एक उपकरण, प्रणाली अथवा सेवा है।

(5) "नौचालन सहायता कार्मिक" अर्थात महानिदेशालय द्वारा अथवा उसकी ओर से जारी उपयुक्त योग्यता का धारक और नौचालन सहायता के मामलों में प्रशिक्षित व्यक्ति है।

(6) "परिपत्र" अर्थात नौचालन सहायता के प्रचालन, अनुरक्षण, प्रशिक्षण और प्रमाणन, लेखा परीक्षा से संबंधित जारी परिपत्र है।

(7) "महानिदेशालय" अर्थात महानिदेशालय, समुद्री नौचालन सहायता है।

(8) "महानिदेशक" अर्थात महानिदेशक, नौचालन सहायता है।

(9) "आईएएलए" अर्थात इंटरनेशनल एसोसियसन ऑफ मरीन एड्स टू नेवीगेशन एंड लाइटहाउस आथॉरिटिस है।

(10) "आईएएलए दिशा निर्देश / सिफारिशें" अर्थात आईएएलए द्वारा जारी दिशा-निर्देश/ सिफारिशें जहां ऐसे विशिष्ट दिशा- निर्देश / सिफारिशों का उल्लेख संशोधित अथवा प्रतिस्थापित संस्करण के लागू होने के संदर्भ में दिया गया है।

(11) "स्तर 1 प्रशिक्षण" अर्थात प्रबंधकीय कार्यों वाले कार्मिकों हेतु मॉडल पाठ्यक्रम एल1.1 में वर्णित मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण है।

(12) "स्तर 2 प्रशिक्षण" अर्थात तकनीकी कार्य करने वाले कार्मिकों हेतु मॉडल पाठ्यक्रम एल 2.0 में वर्णित मानकों के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण है।

(13) “स्थानीय प्राधिकरण” अर्थात एक राज्य सरकार अथवा अन्य व्यक्ति जिसके पास स्थानीय नौचालन सहायता का अधीक्षण और प्रबंधन है;

(14) “समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान (एमएनटीआई)” अर्थात नियम 4 के अधीन परिभाषित प्रशिक्षण संस्थान है।

(15) “अंत:कार्य प्रशिक्षण (ओजेटी)” अर्थात नौचालन सहायताओं की प्रदान की जाने वाली सेवाएं, उपयोग में लाई जाने वाली सुविधाओं और उपकरणों के साथ साथ स्थानीय भूगोल और उपयुक्त विनियम और अन्य प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण सहित कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और नौचालन सहायताओं से परिचित होना है, जहां व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।

(16) “कार्मिक” अर्थात नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हों।

(17) “सिम्युलेटर प्रशिक्षण” अर्थात प्रचालन घटनाओं का अनुकरण, प्रशिक्षुओं के निदेशार्थ अभ्यास और प्रक्रियाएं और क्षमताओं के स्तर को प्रदर्शित कर अपनी क्षमताओं का आकलन करना।

(18) “वी-103 वीटीएस प्रचालक प्रशिक्षण” अर्थात आईएएलए मॉडल पाठ्यक्रम वी- 103 में वर्णित मानकों के स्तर का मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संगठन द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण है।

(19) “वीटीएस कार्मिक” अर्थात आईएएलए दिशा निर्देशों / सिफारिशों के अनुसार वीटीएस प्रचालक अथवा वीटीएस पर्यवेक्षक अथवा वीटीएस प्रबंधक के रूप में पोत यातायात सेवाओं के प्रचालन में योगदान करने वाला योग्यता प्राप्त व्यक्ति है।

3. समुद्री नौचालन सहायता हेतु प्रशिक्षण

(1) आई.ए.एल.ए. संस्तुत आर0141(ई-141)-नौचालन सहायता कार्मिक प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण तथा आई.ए.एल.ए. संस्तुत वी-103 ‘पोत यातायात सेवा(वी.टी.एस.) कार्मिकों के प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण हेतु मानकों की संस्तुति’और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों के अनुपालन में प्रासंगिक पाठ्यक्रमों के निर्माण के माध्यम से सेवाओं के प्रभावी नौचालन परिचालन हेतु और पोत यातायात सेवाकेंद्रों पर अभिनियोजित किए जाने वाले कार्मिकों को केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।

(2) नियम संख्या 8 के अनुसार उप-नियम संख्या(1) के अनुसरण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कार्मिकों को संबंधित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानके द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(3) उपनियम(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रशिक्षित और प्रमाणित कार्मिकों को नौचालन सहायतास्टेशनों सहित पोत यातायात सेवाकेंद्रों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु तैनात किया जाएगा।

(4) समुद्री नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवाओं के कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा महानिदेशक, नौचालन सहायता को प्राधिकारी के रुप में नियुक्त किया जाएगा।

(5) समुद्री नौचालन सहायता और अनुवर्ती प्रमाणीकरण हेतु प्रशिक्षण समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान(एम.एन.टी.आई.) अथवा अन्य किसी मान्यता प्रशिक्षण संस्थान (ए.टी.ओ.) में आयोजित किया जाएगा।

4. समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान

(1) महानिदेशालय द्वारा स्थापित और मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान, कोलकातानियम संख्या 3 के उप-नियम संख्या (1) के अनुसरण में कर्मियों को परिचालन और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

(2) नियम संख्या 3 के उप-नियम संख्या (3) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारीद्वारा नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा प्रशिक्षण हेतु कर्मियों को समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान में नामित किया जा सकता है।

(3) पोत यातायात सेवाकेंद्रों सहित नौचालन सहायता स्टेशनों के अनुरक्षण और प्रबंधन के मामलों पर समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को विकसित किया जा सकता है।

(4) विषय जिस पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है नौचालन सहायता प्रणाली के प्रकार पर आधारित चयनित प्रचालन नौचालन सहायता स्टेशनों में पदस्थ नौचालन सहायता कार्मिकों हेतु समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अंतःकार्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(5) पोत यातायात सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान को पोत यातायात सेवा अनुकारी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

(6) भावी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की दृष्टिकोण से अन्य भौगोलिक स्थानों पर समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शाखा परिसरों की स्थापना केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जा सकती है।

(7) नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा प्रशिक्षण हेतु महानिदेशालय द्वारा समुद्री नौचालन प्रशिक्षण संस्थानमें समुचित संख्या में संकाय अभिनियोजित किया जाएगा जिन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित उत्तरदायित्व प्रारंभ करने से पूर्व अनुदेशकों हेतु निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो ।

बशर्ते ऐसे किसी संकाय को संबद्ध किए जाने के संबंध में महानिदेशक, नौचालन सहायता (केंद्र सरकार के परामर्श से) द्वारा स्पष्ट प्रलेखित प्रक्रिया जारी की गई हो जहाँ भी संकाय के वाह्य स्रोत के आधार पर परिनियोजित किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न होती हो।

5. नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा कार्मिकों के रुप में प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु न्यूनतम योग्यता के मापदंड वर्तमान में वैश्विक तकनीकी अभ्यासों के अनुसार महानिदेशक द्वारा नौचालन सहायता के प्रचालन और प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों के माध्यम से निर्दिष्ट किए जाएँगे।

6. महानिदेशालय द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा।

(1) महानिदेशालय जिनको उचित समझे किंतु केवल इन्हीं पाठ्यक्रमों तक सीमित न हो, ऐसी आवश्यकताओं के अनुकूल आई.ए.एल.ए.आदर्श पाठ्यक्रमों को समाहित किया जाएगा :

(क) एल1.1 स्तर 1नौचालन सहायता प्रबंधक प्रशिक्षण;

(ख) एल 2.0 स्तर 2नौचालन सहायता तकनीशियन प्रशिक्षण;

(ग) वी-103: पोत यातायात सेवा कार्मिक प्रशिक्षण;

(i) पोत यातायात सेवा प्रचालक प्रशिक्षण (वी-103/1);

(ii) पोत यातायात सेवा पर्यवेक्षक प्रशिक्षण (वी-103/2);

(iii) पोत यातायात सेवा अंत:कार्य प्रशिक्षण (वी-103/3);

(iv) पोत यातायात सेवा अंत:कार्यअनुदेशक (वी-103/4);

(v) पोत यातायात सेवा अर्हता और प्रमाणीकरण (वी-103/5) हेतु पुनर्वैधीकरण प्रक्रिया।

(2) पोत यातायात सेवाकेंद्रों सहित नौचालन सहायता स्टेशनों पर नियुक्त नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवाकार्मिकों अथवा नौचालन सहायता प्रबंधन अथवा प्रशासन के साथ संबद्ध ऐसे अन्य व्यक्तियों के कौशल में सुधार किए जाने हेतु संरचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा इस प्रकार के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जो उपयुक्त हों।

7. प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मंजूरी

(1) नियम संख्या 6 के अनुसार मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदर्श प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों के माध्यम से महानिदेशक, नौचालन सहायता द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारुप में महानिदेशालय को आवेदित किया जाएगा।

(2) केंद्र सरकार और महानिदेशालय द्वारा उप नियम संख्या (1) के अधीन अपेक्षित अनुमोदन हेतु आदर्श प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अनुपालन के संबंध में यथोचित निरीक्षण किया जाएगा।

(3) महानिदेशक, नौचालन सहायता द्वारा प्रत्येक आदर्श प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु मंजूरी प्रदान की जाएगी, बशर्ते उप-नियम (2) के अंतर्गत किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट संतोषजनक हो। प्रश्नगत स्वीकृति पाँच वर्षों हेतु प्रदान की जाएगी और प्रत्येक ऐसे पाठ्यक्रम हेतु 'अनुमोदन प्रमाण-पत्र' प्रपत्र संख्या 2 में प्रदत्त प्रारुप में जारी किया जाएगा।

(4) आई.ए.एल.ए. सचिवालय को ऐसे 'अनुमोदन प्रमाण-पत्र' की प्रतिलिपि अभिलेखन और प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित की जाएगी।

(5) महानिदेशक द्वारा नियमित अंतराल पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अनुपालन की निरंतरता सुनिश्चित किए जाने हेतु लेखा परीक्षण किया जाएगा। लेखा परीक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा।

(क) प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली (अनुदेशकों, अनुकारियों और पोत यातायात सेवा/नौचालन सहायता प्रशिक्षण सुविधाओं सहित);

(ख) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रलेखन;

(ग) अभिलेख अनुरक्षण;

(घ) पाठ्यक्रम प्रस्तुति मूल्यांकन

(ङ) अनुकारी प्रशिक्षण

(6) लेखा परीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम विशेष के संबंध में अनुरुपता नपाए जाने पर पाठ्यक्रम विशेष संचालित किए जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति गैर अनुरुपता के सुधार किए जाने तक निलंबित मानी जाएगी।

8. प्रमाणन

(1) नियम संख्या 3 के उप नियम संख्या (2) के अनुसरण में सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कार्मिकों को संबंधित मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.ओ.) द्वारा प्रपत्र 1 में प्रदत्त प्रारुप में प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी किया गया प्रत्येक प्रमाण पत्र आई.ए.एल.ए. प्रतीक चिन्ह के साथ पृष्ठांकित किया जाए, बशर्ते इस प्रकार के किसी पृष्ठांकन की अनुमति महानिदेशालय और आई.ए.एल.ए. के मध्य समझौता ज्ञापन के निष्पादन के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(3) जहाँ उपयुक्त पारस्परिक प्रबंध प्रवर्तित होता है, महानिदेशक, नौचालन सहायता द्वारा आई.ए.एल.ए. के किसी अन्य सदस्य राष्ट्र द्वारा जारी किए गए नौचालन सहायता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र आई.ए.एल.ए. की संस्तुति के अनुसरण में निर्गत किया गया हो।

9. पोत यातायात सेवा कार्य पंजी वितरण

(1) महानिदेशक, नौचालन सहायता द्वारा पोत यातायात सेवाकार्मिकों द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्य अनुभवों का अभिलेखन अनुरक्षित किए जाने हेतु मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों को पोत यातायात सेवा कार्य पंजी उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के लिखित अनुरोध के आधार पर महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के माध्यम से निर्दिष्ट किए गए शुल्क के भुगतान के पश्चात उन्हें नई कार्य पंजी उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे पोत यातायात सेवा कार्मिकों के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण किए जाने के पश्चात् वितरित किया जाना है। ।

(3) समुद्री नौचालन सहायता (पोत यातायात सेवा) नियम, 2021 के अनुसरण में पोत यातायात सेवा कार्मिकों के कार्य अनुभवों से संबंधित प्रविष्टियाँ पोत यातायात सेवाप्रदाता द्वारा की जाएँगी और जिनको पोत यातायात सेवा हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किया जाएगा।

10. नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवाकार्मिक विवरण

(1) नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवाप्रदाताओं द्वारा संबंधित प्रणालियों में तैनात कर्मियों का विवरण और उनके प्रशिक्षण की स्थिति की जानकारी का विवरण विस्तृत वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर निर्मित करने हेतु महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जानी है और सभी नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा प्रदाताओं को निर्धारित कैलेंडर के अनुपालनर्थ परिचालित कर दिया जाएगा।

(2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा महानिदेशालय को डेटाबेस अद्यतित किए जाने हेतु संस्थान में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण भी उपलब्ध कराएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के अधीन प्रदत्त आदानों और देश भर में स्थापित किए गए नौचालन सहायता तथा पोत यातायात सेवा केंद्रों पर आधारित नौचालन सहायता और पोत यातायात सेवा कार्मिकों तथा उनके द्वारा पूर्ण किए गए प्रशिक्षणों समेत उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की स्थिति से संबंधित विवरण महानिदेशालय द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

(4) विशिष्ट परिपत्रों के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों को उनके द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रमाणन से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों के अभिलेखन के अनुरक्षण के संबंध में महानिदेशालय द्वारा परामर्शित किया जाएगा।

11. समुद्री नौचालन सहायता (लेखा और वित्तीय शक्ति) नियम, 2021 द्वारा किए गए व्यय शासित होंगे।

12. विविध

(1) महानिदेशक द्वारा समय-समय पर नौचालन सहायताकार्मिकों के प्रमाणन और प्रशिक्षण से संबंधित परिपत्र जारी किए जाएँगे।

(2) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानोंको क्षति अथवा गिरावट को रोकने हेतु प्रशिक्षण सामग्री के भंडारण के लिए सलाह प्रदान की जाएगी।

(3) महानिदेशालय, नौचालन सहायताकार्मिकों का कौशल बढ़ाने और वैश्विक प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने में संलिप्त किसी भी भारतीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा किसी अन्य संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) कर सकता है।

(4) महानिदेशालय द्वारा निर्दिष्ट इन नियमों के अंतर्गत जारी किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों समेत प्रशिक्षण दस्तावेज़ों को आई.ए.एल.ए. प्रतीक चिन्ह सहित पृष्ठांकित किया जाएगा।

प्रपत्र 1

[नियम 8 का उप नियम (1) देखें]

प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र हेतु प्रारूप

मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन के पूर्ण हेतु स्थान

आई ए एल ए प्रतीक चिन्ह	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र	महानिदेशालय प्रतीक चिन्ह

प्रमाण-पत्र संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि [कार्मिक का नाम दर्ज करें], जन्म तिथि [जन्म तिथि दर्ज करें], पहचान संख्या [पहचान संख्या दर्ज करें]द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के सफल समापन पर

[अनुमोदित पाठ्कयक्रम],

आयोजन तिथि दिनांक [------] से दिनांक [------------] तक

यह प्रशिक्षण प्रमाण पत्र समुद्री नौचालन सहायता (प्रशिक्षण और प्रमाणन), नियम 2021 के अधीन जारी किया गया है । इस प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता [प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु वेबलिंक] से सत्यापित किया जा सकता है ।

मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संगठन के प्राधिकृत हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

[नियम 7 का उप नियूम (3) देखें]

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु अनुमोदन प्रमाण-पत्र

आई ए एल ए प्रतीक चिन्ह	अनुमोदन प्रमाण पत्र	महानिदेशालय प्रतीक चिन्ह

प्रमाण पत्र संख्या

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

[प्रशिक्षण संस्थान का नाम]

[प्रशिक्षण संस्थान का पूरा पता]

[दिनांक -------- से दिनांक --------- तक] की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा की गई और निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदानगी हेतु योग्य पाया गया है

[प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख करें]

एतद्द्वारा प्रशिक्षण अनुमोदित किया जाता है।

भारत सरकार की ओर से महानिदेशक, नौचालन सहायता द्वारा जारी[प्रमाण पत्र की तिथि की प्रविष्टि करें।] **और आवश्यकतानुसार विशेष/नवीकरण लेखा परीक्षा के अधीन**[वैधता समाप्त होने की तिथि की प्रविष्टि करें।] **तक वैध।**

प्राधिकृत हस्ताक्षर

महानिदेशालय की विशिष्ट शर्तों हेतु स्थान

[फा. सं.-एल.एच.-11012/5/2021-एस.एल.]

लुकास एल.कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2021

G.S.R. 884(E).—The draft of the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), are hereby published, as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General, Directorate of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports Shipping and Waterways, A-13, Sector 24, Noida - 201301, or by email at noida-dgll@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and Commencement

(1) These rules may be called Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette, appoint; and different dates appointed for different provisions of this rule and any reference in any such provision to the commencement of this rule shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definitions—

In these rules, unless the context otherwise requires,

(1) "Accredited Training Organisation (ATO)" means an organisation that the Directorate General grants recognition to, for demonstrated ability to meet predetermined criteria for established standards.

(2) "Act" means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021).

(3) "Approved AtoN Training Course "means a course of study in Aids to Navigation that has successfully completed the quality assurance process under which a training course is assessed to ensure that the standards circulated by the Directorate General are met.

(4) "Aid to Navigation (AtoN)" means a device, system or service, including vessel traffic service, external to vessels, designed and operated to enhance safe and efficient navigation of individual vessels and vessel traffic.

(5) "AtoN Personnel" means persons trained in Aids to Navigation matters and holding appropriate qualifications issued by, or on behalf of the Directorate General.

(6) "Circular" means the circulars issued in relation to the operation, maintenance, training and certification, auditing of Aids to Navigation.

(7) "Directorate General" means Directorate General of Marine Aids to Navigation.

(8) "Director General" means Director General of Aids to Navigation.

(9) "IALA" means International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.

(10) "IALA Guidelines / Recommendations" means the guidelines / recommendations issued by IALA and wherever references of specific guidelines / recommendations has been made, the amended or superseded version shall apply.

(11) "Level 1 Training" means Training given at an Accredited Training Organisation to the standards described in Model Course L1.1 for personnel having managerial functions.

(12) "Level 2 Training" means training given at an Accredited Training Organisation to the standards described in Model Course L 2.0 for personnel having technical functions.

(13) "local authority" means a State Government or other person having superintendence and management over a local aid to navigation;

(14) "Marine Navigation Training Institute (MNTI)" means the training institute defined under Rule 4.

(15) "On the Job Training (OJT)"means training and familiarization at an Aids to Navigation workplace at which the person will be employed and includes training on the AtoN services provided, the facilities and equipment used as well as the local geography and appropriate regulations and other procedures.

(16) "personnel" means such person seeking to receive training at an Accredited Training Organisation in accordance with these rules.

(17) "Simulator training" means the simulation of operational events, practices and procedures to instruct trainees and assess their ability to demonstrate their levels of competence.

(18) "V-103 VTS Operator Training" means training given at an Accredited Training Organisation to the standards described in IALA Model Courses V-103.

(19) "VTS personnel" means persons qualified in accordance with IALA Guidelines/ Recommendations and deployed as VTS Operator or VTS Supervisor or VTS Manager, to perform tasks contributing to the operation of vessel traffic services.

3. Training for Marine Aids to Navigation

(1) The Central Government shall train personnel to be deployed at AtoN and VTS Centres, for effective operation of services by way of formulating relevant training courses in compliance with, IALA Recommendation R0141 (E-141) - Training and Certification of Aids to Navigation personnel and IALA Recommendation V-103 'Recommendation on Standards for Training and Certification of VTS Personnel' and other international best practices.

(2) The personnel successfully trained in accordance with sub-rule (1) shall be granted certificates by the concerned ATO as per Rule 8.

(3) The personnel trained and certified under sub-rule (1) and (2) shall be deployed for operation and maintenance of AtoN stations including VTS Centres.

(4) The Central Government shall appoint the Director General of Aids to Navigation as the authority for all the matters pertaining to training and certification of personnel on Marine Aids to Navigation and Vessel Traffic Services.

(5) The training for Marine Aids to Navigation and subsequent certification shall be conducted through Marine Navigation Training Institute (MNTI)or any other Accredited Training Organization (ATO).

4. Marine Navigation Training Institute

(1) Marine Navigation Training Institute, Kolkata, an internationally recognized ATO, established and accredited by the Directorate General, shall impart operational and technical training to the personnel in accordance with sub-rule (1) of Rule 3.

(2) The local authority may deploy their personnel for AtoN and VTS Training at MNTI as under sub-rule (3) of Rule 3.

(3) MNTI may also impart in-house developed training courses on the matters of maintenance and management of AtoN stations including VTS Centres.

(4) The MNTI shall organize On the Job Training (OJT) to the AtoN personnel at the select operational AtoN station based on the type of AtoN System on which the training is to be imparted.

(5) The MNTI shall be equipped with VTS Simulator facilities for imparting VTS training courses.

(6) MNTI may establish satellite campuses at other geographical locations depending on the future training needs with the prior approval of the Central Government.

(7) The Directorate General shall deploy appropriate number of faculty at MNTI for AtoN and VTS training who have satisfactorily completed pertinent instructor training, prior to undertaking training responsibilities.

Provided that where the need for outsourcing of faculty arises, the Director General of Aids to Navigation shall issue a clear documented procedure for engaging such faculty in consultation with Central Government.

5. The minimum qualification criteria for receiving training as AtoN and VTS Personnel shall be specified in the circulars issued by the Director General, issued from time to time, as per prevalent global technical practices in operation and management of aid to navigation.

6. Training courses administered by the Directorate General shall include the following:

(1) IALA model courses adapted to such requirements as the Directorate General may deem fit, including but not limited to:

(a) L1.1Level1AtoNManagerTraining;

(b) L2.0 Level 2 AtoN Technician Training;

(c) V-103: VTS Personnel Training

(i) VTS Operator training (V-103/1);

(ii) VTS Supervisor training (V-103/2);

(iii) VTS On-the-Job training (V-103/3);

(iv) VTS On-the-Job Instructor (V-103/4);

(v) Revalidation process for VTS Qualifications and Certification (V-103/5).

(2) Structured training courses or such other form of training as may be deemed fit, in order to improve the skills of AtoN and VTS personnel deployed either at AtoN Stations including VTS Centre or such other person(s) engaged with administration or management of AtoN.

7. Approval of Training Courses

(1) The ATOs seeking approval of model training courses as per rule 6 which are proposed to be conducted at the ATO, shall apply to the Directorate General in the form prescribed by the Director General of Aids to Navigation through circulars issued from time to time.

(2) The Central Government and the Directorate General shall, conduct appropriate inspection with regard to compliance of the model training courses for which approval has been sought under sub-rule (1).

(3) An approval for each model training course shall be granted by the Director General of Aids to Navigation pursuant to satisfaction with regard to inspection conducted under sub-rule (2),for a period of five years and a 'Certificate of Approval' for each such course shall be issued in the format specified inForm2.

(4) A copy of such 'Certificate of Approval' shall be dispatched to the IALA Secretariat for their record and dissemination.

(5) The Director General may carry out an audit at appropriate intervals for ensuring continuation of compliance by the ATO. These audits shall include:

(a) Training Management System (including instructors, simulators and VTS/AtoN training facilities);

(b) Training course documentation;

(c) Maintenance of records;

(d) Course presentation assessment

(e) Simulator training.

(6) In case of non-conformity of compliance in respect of a particular course by the ATO discovered during an audit, the approval to the same shall be deemed suspended until correction of non-conformity.

8. Certification

(1) The concerned ATO shall issue certificates being 'Certificate of Training' to personnel successfully trained in accordance with sub-rule (2) of Rule 3, in the format specified in Form 1.

(2) Each certificate issued under sub-rule (1) shall be endorsed with the logo of IALA.

Provided that such endorsement shall be permitted pursuant to the execution of a Memorandum of Understanding between the Directorate General and IALA.

(3) Where suitable reciprocal arrangements apply, the Director General of Aids to Navigation may recognize an AtoN certificate issued by a national member of IALA of other country provided that the certificate has been issued in accordance with IALA Recommendation.

9. Issue of VTS Log Book

(1) The Director General of Aids to Navigation shall issue a VTS log book to ATOs for maintaining a record of trainings and work experiences of VTS personnel.

(2) Fresh VTS log books shall be issued by Directorate General on a written request by ATOs, on payment of such fee as may be specified through circulars issued by the Directorate General, issued from time to time, for issuance to the VTS personnel on successful completion of training.

Provided that the respective ATO shall submit a utilisation certificate in respect of previously issued VTS log books.

(3) The entries pertaining to work experience of VTS personnel shall be made by VTS provider which shall be endorsed by the Competent Authority for VTS in accordance with Marine Aids to Navigation (Vessel Traffic Services) Rules, 2021.

10. A to N and VTS Personnel Database

(1) AtoN and VTS providers shall provide the details of personnel deployed at respective systems and status of their training to the Directorate General for working out detailed annual training calendar and a final calendar shall be circulated to all the AtoN and VTS Providers for compliance.

(2) ATOs shall also provide the details of training carried out at their institute to Directorate General for update of database.

(3) Directorate General shall maintain a database of AtoN and VTS personnel and their status on training requirements vis-à-vis completed trainings, based on the AtoN and VTS Centres established in the country and inputs provided under sub-rule (1) and (2).

(4) Directorate General through specific circulars shall advise ATOs to maintain records of important activities related to training and certification carried out by them.

11. The expenses shall be governed by Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power)Rules,2021.

12. Miscellaneous

(1) The Directorate General shall issue circulars related to certification and training of AtoN personnel from time to time.

(2) Advisories shall be issued to ATOs for storage of training material to preclude damage or deterioration.

(3) Directorate General may enter into the Memorandum of Understanding (MOU) with any Indian organization, international organization or otherwise, engaged in imparting specialized training courses, for enabling its AtoN personnel to enhance their skill and achieve global exposure.

(4) Any training documentation including certificates issued under these Rules, as specified by the Directorate General, shall be endorsed with the IALA logo.

FORM-1

[refer sub-rule (1) of rule 8]

Format of Certificate of Training

Space for Full Details of Accredited Training Organisation

Logo of IALA	***Certificate of Training***	Logo of Directorate General

Certificate Number

This certificate is awarded to [Enter name of Personnel] **son/daughter of** [Enter Father's name], **date of birth** [Enter date of birth], **Identity number** [Enter Identity number], **upon successful completion of the approved course**

[Name of Approved Course],

Conducted from [date] **to** [date]

This Training certificate is issued under the Marine Aids to Navigation (Training and Certification) Rules, 2021. The authenticity of this certificate can be verified from [web link for certificate verification].

Authorized Signature of ATO

FORM-2

[refer sub-rule (3) of rule 7]

Format of Certificate of Approval for Training Courses

Logo of IALA	***Certificate of Approval*** **Certificate Number** **-----------------------**	Logo of Directorate General

This is to certify that:

[Enter name of Training Institute]

[Enter full address of Training Institute]

has been audited during the period [Enter dates of the audit] **and found qualified for imparting following Training course**

[Enter Name of Training Course and Duration of Course]

The training course is approved in pursuance with Marine Aids to Navigation (Training & Certification) Rules, 2021

Issued by the Director General of Aids to Navigation on behalf of Government of India on *[Enter date of certificate]* **and valid until** *[Enter expiry date],* **subject to the special/renewal audit, as required.**

Authorized Signature

Space for any specific conditions of the Directorate General

[F. No- LH-11012/5/2021-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.30 15:57:17 +05'30'